

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य ध्वस्त करने हेतु नोटिस)

वाद संख्या सी-0459/एस-9/2025

दिनांक: 02/12/2025

पत्रांक : 2639 /

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री अत्येन्द्र सिंह यू0पी0ई0एस0 के निकट मैन रोड विधौली देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/स्थल पर विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन करते हुए निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम-2009, की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद सं0 सी-0459/एस-9/2025 योजित किया गया। उक्त चालानशुदा अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16/12/25 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



पीठासीन अधिकारी/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

- प्रतिलिपि:- 1. नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) देहरादून के पत्र सं0 1205/विविध-जे0ए0/2024 दिनांक -07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग हेतु नामित किया गया है अतः उक्त तिथि को सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल) उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि को दो वाहन एवं सीलिंग से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. विपक्षी श्री अत्येन्द्र सिंह यू0पी0ई0एस0 के निकट मैन रोड विधौली देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/स्थल पर विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन करते हुए निर्माण किया जा रहा है। को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त तिथि को आप स्वयं स्थल पर उपस्थित रहें एवं स्थल से अपना सम्पत्त सामान हटा लें। शेष नियम व र्त्त पूर्व आदेश पत्रांक 3268 दिनांक 004.11.2025 के अनुसार मान्य होंगी।



पीठासीन अधिकारी/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

